न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर
बइजलास कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस. जिला कलक्टर, बीकानेर

मुकदमा संख्या 19/16 उपनिवेशन विविध

राजकुमार पुत्र मालाराम विश्नोई निवासी रणजीतपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर

–प्रार्थी

: ब ना म :

चन्द्रप्रकाश पुत्र चिरंजीलाल जाति पंचोली निवासी रोशनीघर के पीछे, बीकानेर **–अप्रार्थी**

उपस्थितिः–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री बहादुरराम सुथार ।
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद पुरोहित ।

अन्तर्गत नियम 22(3) राजस्थान उपनिवेशन
(इ.गा.न.प. क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम,1975

न्यायालय जिला कलेक्टर बीकानेर (रा.)

: आदेश :

<u>दिनांक 09.10.19</u>

1. प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना–पत्र दिनांक 05.08.15 को अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (सतर्कता), बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने के कारण प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय को हस्तानान्तरित होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर पेशी में लिया गया। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 27.04.15 व सहायक उपनिवेशन आयुक्त, कोलायत के आदेश दिनांक 27.11.90 के द्वारा आवंटन नियमो के विपरित चक 12 आरडीवाई के मु.नं. 158/41 व 178/7 की 28 बीघा भूमि नियमो के विरूद्ध अप्रार्थी को आवंटन किया गया जिसे निरस्त फरमाया जावे।

2. अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता श्री विनोद पूरोहित ने उपस्थित आकर जवाब पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

3. तदन्तर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

4. प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के बिन्दुओ को दोहराते हुए कथन किया कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ही प्रार्थी की बहस है। तद्नुसार प्रकरण निर्णित फरमावे। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने पत्रावली पर प्रस्तुत जवाब को बहस मानकर प्रकरण निर्णित करने का निवेदन किया।

जिला कलक्टर, बीकानेर

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में हम यह उचित समझते है कि राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के नियम 22(3) के संबंध में कोई उल्लंघन तो नहीं हुआ है तथा अप्रार्थी को भूमि आवंटन की सत्यता/प्रमाणिकता के संबंध में हम विस्तृत जांच करवायी जाना न्यायोचित समझते है।

6. उपर्युक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे पक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य/ सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण में किए गये आवंटन की विधिवत विस्तृत जांच कर समुचित निर्णय पारित करे। मूल आवंटन पत्रावलियां उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को निर्णय प्रति के साथ भिजवायी जावे।

7. आदेश आज दिनांक **09.10.2019** को हमारे द्वारा लिखाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, बीकानेर
जिला कलक्टर, बीकानेर

न्यायालय जिला कलक्टर बीकानेर [राज.]